ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
(कानपुर देहात, श्रावस्ती एवं अमेठी को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0न0/स0स्टॉफ–दि0नि0/83/2017–18/ 7347-72 लखनऊः दिनांकः 01, फरवरी, 2018

विषयः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर तैनात सपोर्ट स्टॉफ हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सपोर्ट स्टाफ की तैनाती की गयी है, जिसमें जनपदों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति से सीधी भर्ती एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रथम आर0ओ0पी0 में सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु Lumpsum धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इन सपोर्ट स्टाफ के मानदेय के सम्बन्ध में Minimum Wages के दृष्टिगत संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसके कम में प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा Supplementary RoP 2017-18 में रू0 11,000/–(ग्यारह हजार) प्रति माह प्रति सपोर्ट स्टॉफ की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

अतएव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर तैनात संविदा सपोर्ट स्टॉफ हेतु दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रेषित किये जा रहे दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या– प0क0–13/सं0नि0न0/स0स्टॉफ–दि0नि0/83/2017–18/ तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4– अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष ,जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8– समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
10– जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

Scanned by CamScanner

ई–मेल द्वारा

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
(कानपुर देहात, श्रावस्ती एवं अमेठी को छोड़कर)
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकः प0क0–13/सं0नि0न0/स0स्टॉफ–दि0नि0/83/2017–18/ लखनऊः दिनांकः 01, फरवरी, 2018

विषयः– राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर तैनात सपोर्ट स्टॉफ हेतु दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपरोक्त विषयक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सपोर्ट स्टाफ की तैनाती की गयी है, जिसमें जनपदों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति से सीधी भर्ती एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रथम आर0ओ0पी0 में सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु Lumpsum धनराशि स्वीकृत की गयी थी। इन सपोर्ट स्टाफ के मानदेय के सम्बन्ध में Minimum Wages के दृष्टिगत संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था, जिसके क्रम में प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा Supplementary RoP 2017-18 में रू0 11,000/–(ग्यारह हजार) प्रति माह प्रति सपोर्ट स्टॉफ की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है।

अतएव राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत संचालित नगरीय सामुदायिक/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रो पर तैनात संविदा सपोर्ट स्टॉफ हेतु दिशा निर्देश पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है। आपको निर्देशित किया जाता है कि प्रेषित किये जा रहे दिशा–निर्देशों के अनुरूप ही अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृ0प0संख्या– प0क0–13/सं0नि0न0/स0स्टॉफ–दि0नि0/83/2017–18/7419-335 तददिनांक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
2– महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
3– मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
4– अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
5– समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष ,जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
6– समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7– महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
8– समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
9– समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
10– जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा0 नीना गुप्ता)
महानिदेशक

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सपोर्ट स्टाफ की तैंनाती की गयी है जिसमें जनपदों से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति से सीधी भर्ती एवं आउटसोर्सिग के माध्यम से तैनात है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रथम आर0ओ0पी0 में सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु Lumsump धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसको राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में जनपदों को रु0 14,700/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से (माह अप्रैल से नवम्बर, 2017) तक की धनराशि अवमुक्त/आवंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के मानदेय के सम्बन्ध में Minimum Wages को ध्यान मे रखते हुए संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा Supplementary RoP 2017-18 में रु0 11,000/– प्रति माह प्रति सपोर्ट स्टाफ की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्राप्त स्वीकृति के क्रम में दिशा–निर्देश निम्नवत् है–

1. प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 02 सपोर्ट स्टाफ तथा चिन्हित प्रसव केन्द्रों पर 01 अतिरिक्त सपोर्ट स्टाफ (महिला कर्मी को प्राथमिकता) से कार्य लिया जाना है, जिसके क्रम में नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर पूर्व से तैनात सपोर्ट स्टाफ को उपरोक्तानुसार समायोजित/स्थान्नातरित (Relocate) किया जाना है।
2. उपरोक्तानुसार समायोजन/स्थान्नातरण के उपरान्त यदि जनपद में तैनात सपोर्ट स्टाफ की संख्या अधिक है, तो उनको निकाला न जाय। सपोर्ट स्टाफ की संख्या कम होने की दशा नयी भर्ती करने से पूर्व राज्य स्तर पर अवगत कराया जाय एवं राज्य स्तर से दिशा–निर्देश प्राप्त होने के उपरान्त ही भर्ती की जाय।
3. भारत सरकार से प्राप्त Supplementary RoP 2017-18 में रु0 11,000/– प्रति माह प्रति सपोर्ट स्टाफ की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसके क्रम में Minimum Wages को ध्यान मे रखते हुए जनपदों में तैनात सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु रु0 11,000/– (Including PF& EPF, ESI, GST & Service Charge) के सम्बंध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है –

Component	Employee hired By DHS	Employee hired by Agency
Honorarium	7500	7500
PF (Emp.) 12%	900	900
ESI (EMP) 1.75%	---------	131.25
Net Payable to Employee	**6600**	**6468.75**
GST 18%	---------	1350
Service Charge	---------	750
EPF(13.15) by	986.25	986.25
ESI (4.75)	---------	356.25
Total	**8486.25**	**10942.5**

4. उपरोक्तानुसार जिला स्वास्थ्य समिति से सीधे तैनात किये गये सपोर्ट स्टाफ एवं आउटसोर्सिग के माध्यम से तैनात सपोर्ट स्टाफ हेतु मानदेय की धनराशि अलग–अलग होगी।
5. वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदों को रु0 14,700/– प्रति माह प्रति नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (अप्रैल से नवम्बर, 2017) की दर से धनराशि अवमुक्त/आवंटित की गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा Supplementary RoP 2017-18 में सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि को इस मद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि को घटाते हुए अवमुक्त/आवंटित की जा रही है।

उपरोक्त दर के अनुसार सपोर्ट स्टाफ को मानदेय माह अप्रैल 2017 से देय होगा। अतः अब तक भुगतान की गयी धनराशि को उपरोक्तानुसार दी जाने वाली धनराशि में से घटाते हुये शेष धनराशि को एरियर के रुप में दिया जायेगा।

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के कार्य एवं दायित्व

नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के द्वारा निम्न कार्य किया जायेगा–

1. नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की साफ सफाई, अन्य व्यवस्था।
2. चिकित्सक/अन्य स्टाफ का सहयोग।
3. प्रसव के दौरान चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं अन्य को सहयोग प्रदान करना।

Scanned by CamScanner

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह (नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर 04 सपोर्ट स्टाफ प्रति बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह (नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) की दर से स्वीकृत है, जिसमें जनपद से उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर जिला स्वास्थ्य समिति से सीधी भर्ती एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात है। भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2017–18 की प्रथम आर0ओ0पी0 में सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु Lumsump धनराशि स्वीकृत की गयी थी जिसको राज्य स्तर पर लिये गये निर्णय के क्रम में जनपदों को रु0 22052/– प्रति माह प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से (माह अप्रैल से नवम्बर, 2017) तक की धनराशि अवमुक्त/आवंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत जनपद लखनऊ में संचालित 08 बाल महिला चिकित्सालय एवं प्रसूति गृह (नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के मानदेय के सम्बन्ध में Minimum Wages को ध्यान मे रखते हुए संशोधित प्रस्ताव भारत सरकार को प्रेषित किया गया था जिसके क्रम में प्रस्ताव के अनुसार भारत सरकार द्वारा Supplementary RoP 2017-18 में रु0 11,000/– प्रति माह प्रति सपोर्ट स्टाफ की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। प्राप्त स्वीकृति के क्रम में दिशा–निर्देश निम्नवत् है

1. नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (लखनऊ) में 04 सपोर्ट स्टाफ प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की दर से कुल 32 सपोर्ट स्टाफ की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
2. भारत सरकार से प्राप्त Supplementary RoP 2017-18 में रु0 11,000/– प्रति माह प्रति सपोर्ट स्टाफ की दर से धनराशि स्वीकृत की गयी है। जिसके क्रम में Minimum Wages को ध्यान मे रखते हुए जनपदों में तैनात सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु रु0 11,000/– (Including PF&EPF , ESI, GST& Service Charge) के सम्बंध में निम्नवत् व्यवस्था की गयी है –

Component	Employee hired By DHS	Employee hired by Agency
Honorarium	7500	7500
PF (Emp.) 12%	900	900
ESI (EMP) 1.75%	---------	131.25
Net Payable to Employee	**6600**	**6468.75**
GST 18%	---------	1350
Service Charge	---------	750
EPF(13.15) by	986.25	986.25
ESI (4.75)	---------	356.25
Total	**8486.25**	**10942.5**

3. उपरोक्तानुसार जिला स्वास्थ्य समिति से सीधे तैनात किये गये सपोर्ट स्टाफ एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से तैनात सपोर्ट स्टाफ हेतु मानदेय की धनराशि अलग–अलग होगी।
4. वित्तीय वर्ष 2017–18 में जनपदों को रु0 22,052/– प्रति माह प्रति नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (अप्रैल से नवम्बर, 2017) की दर से धनराशि अवमुक्त/आवंटित की गयी है।

अतः भारत सरकार द्वारा Supplementary RoP 2017-18 में सपोर्ट स्टाफ के मानदेय हेतु स्वीकृत धनराशि को इस मद में पूर्व में अवमुक्त धनराशि को घटाते हुए अवमुक्त/आवंटित की जा रही है।

उपरोक्त दर के अनुसार सपोर्ट स्टाफ को मानदेय माह अप्रैल 2017 से देय होगा। अतः अब तक भुगतान की गयी धनराशि को उपरोक्तानुसार दी जाने वाली धनराशि में से घटाते हुये शेष धनराशि को एरियर के रूप में दिया जायेगा।

नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के कार्य एवं दायित्व

नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर तैनात सपोर्ट स्टाफ के द्वारा निम्न कार्य किया जायेगा–

1. नगरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की साफ सफाई, अन्य व्यवस्था।
2. चिकित्सक/अन्य स्टाफ का सहयोग।
3. प्रसव के दौरान चिकित्सक, स्टाफ नर्स एवं अन्य को सहयोग प्रदान करना।

Scanned by CamScanner